संख्या-865/2018/1557/22-2-2018-17(319)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2018***

विषय:-जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद खान पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5/दया0(बैठक 07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी इरशाद खान पुत्र श्री शरीफ, जो नि0- मौ0 पठानपुर कस्बा, थाना-देवबन्द, जनपद- सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.09.1989 को 11 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक, पलकटी व देशी पिस्टल से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 11.08.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2014 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.06.2018 तक 10 वर्ष, 01 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी इरशाद खान (बन्दी संख्या-931/2014) पुत्र श्री शरीफ, नि0-मौ0 पठानपुर कस्बा, थाना-देवबन्द, जनपद- सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-865/2018/1557(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर
3- निजी सचिव] मा0 राज्यमंत्री] कारागार विभाग] उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in